COURT FEE — भारत INDIA — बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
COURT FEE — भारत INDIA — दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

236

R 139-I-17

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../.............../..........................

विषय :– आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार –

कोहप सिंह उर्फ पुहप सिंह गौड़ पिता श्री लोहिया गौड़ निवासी मकान नं. 131 ग्राम पंचायत घुंसौर गांव जोतपुर घाना तहसील व जिला जबलपुर।

श्री .... द्वारा आज दि. 6-4-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध –

अनावेदक – 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
2. श्री अनुराग तिवारी पिता श्री एन.के. तिवारी निवासी मकान नं. 1480/1 गंगानगर सिद्धेश्वर मंदिर के पास गढ़ा तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

06/04/17

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 140/अ–21/2015–16 में **की जा रही कार्यवाही एवं अंतरिम आदेश** दि. 09/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू–राजस्व **संहिता 1959 की धारा 50** के तहत् यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी कोहप सिंह उर्फ पुहप सिंह गौड़ पिता श्री लोहिया गौड़ निवासी मकान नं. 131 ग्राम पंचायत घुंसौर गांव जोतपुर घाना तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम घाना न.ब. 145 प.ह.नं. 25/37 रा.नि.मं. जबलपुर–2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. **304, 305** रकबा क्रमशः 0.120, 0.140 हे. कुल 0.260 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री अनुराग तिवारी पिता श्री एन.के. तिवारी निवासी मकान नं. 1480/1 गंगानगर सिद्धेश्वर मंदिर के पास गढ़ा तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र (Annexure-2) म.प्र. भू–राजस्व **संहिता 1959 की धारा 165(6)** के तहत् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आदेशिका दिनांक 22/7/2016 के अनुसार प्रकरण न्यायालय कलेक्टर जबलपुर में दर्ज किया जाकर प्रारंभ किया गया है।

कोहप

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 139/एक/2017 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 140/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि ग्राम घाना न.ब. 145 प.ह.न. 25/37 रा.नि.म. जबलपुर–2 तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 304, 305 रकवा क्रमशः 0.120, 0.140 है0 कुल 0.260 है0 भूमि अनावेदक क्रमांक 2 अनुराग तिवारी पुत्र एन.के. तिवारी निवासी – मकान 1480/1 गंगा नगर सिद्धेश्वर मंदिर के पास गढा तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जो प्रकरण क्रमांक 140/अ–21/2015–16 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 09.01.2017 को पारित कर शीघ्र सुनवाई आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।	

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास 5.893 है0 यानि 14 एकड़ 56 डिसमिल भूमि सिंचित शेष बचेगी। जिससे वह उपरोक्त भूमि की विधिवत् देखभाल कर कृषि कार्य करेगा एवं अपनी पुत्री का विवाह करेगा आवेदक अपने आवेदन पत्र में दर्शायी गयी भूमि को इसलिये भी विक्रय करना चाहता है क्योंकि उपरोक्त भूमि विक्रय किया जाना इसलिये आवश्यक है कि ग्राम में बची शेष भूमि को उन्नत बनाने एवं पारिवारिक आवश्यकताओ हेतु रूपयो की आवश्यकता है और इसके सिवाय अपनी भूमि मौजा घाना की भूमि को बेचने के अलावा अपनी उक्त जरूरतों को पूरा करने का कोई साधन नहीं है। तथा उक्त भूमि से कोई लाभ व फायदा नहीं है। लागत के अनुपात में उपज नहीं हो पाती है, इसलिये उक्त जमीन को बेच देना उसके हित में है। इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। किन्तु कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार नहीं किया है, उपरोक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की जाकर भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी।

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र को बिना किसी कारण के निरस्त किया है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार होने से रह गया है। तथा अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त दिशा में कोई कार्यवाही नही की जाकर प्रकरण को विलंबित किया गया है, जिससे आवेदक की ओर से प्रस्तुत विक्रय अनुमति आवेदन पत्र विचार किये जाने से रह गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये एवं आवेदक को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति न्यायहित में दी जाये। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी।

5- उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 09.01.2017 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब भूमि के विक्रय की अनुमति के संबंध में प्रस्तुत किया गया था कि तब ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुण दोषो पर विचार कर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। क्योंकि जब प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था। तब ऐसी स्थिति में प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.01.2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी

शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति एवं ग्राम घाना की भूमि कोई लाभ व फायदा नही होने से लागत के अनुपात में उपज नहीं हो पाने से आवेदक द्वारा उक्त भूमि को बेच देना उसके हित में होने से भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- आवेदक द्वारा विक्रय अनुमति आवेदन पत्र के साथ अनावेदक क्रमांक 2 अनुराग तिवारी पुत्र एम.के.तिवारी का अनुबंध पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 5.893 है0 यानि 14 एकड़ 56 डिसमिल भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह बताया गया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

3- आवेदक अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये

दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

7- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन से अनावेदक क्रमांक 2 अनुराग तिवारी पुत्र एम.के.तिवारी निवासी मकान नं. 1480/1 गंगा नगर सिद्धेश्वर मंदिर के पास गढा तहसील व जिला जबलपुर के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से अधिक विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 140/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 09.01.

2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम घाना न.ब. 145 प.ह.न. 25/37 रा.नि.म. जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 304, 305 रकवा क्रमशः 0.120 , 0.140 है0 कुल 0.260 है0 भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य